सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/281 दिनांक : 27–4–2018

''दिल्ली उच्च न्यायलय के अगले आदेश आने तक बुलगार्ड/सेफ्टी गार्ड पर से प्रतिबन्ध हटा''

सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि हमारे कुछ व्यापारी भाईयों विशेषकर जो बुलगार्ड/सेफ्टी गार्ड के व्यापार से जुड़े हैं उन्हें दिल्ली उच्च न्यायलय ने अपने अगले आदेश आने तक राहत दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7 दिसम्बर 2017 को परिवहन मंत्रालय ने एक एडवाईजरी जारी करके सभी प्रदेशों को सुझाव दिया था कि यदि वे चाहें तो इन पर बैन लगा सकती है ऐसा कुछ प्रदेशों ने किया भी परन्तु इंडियन सेफ्टी गार्ड इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन जो कि गार्ड निर्माताओं द्वारा गठित संस्था है ने व्यापारियों के हित में दिल्ली उच्च न्यायलय का द्वार खटखटाया तथा एक याचिका दर्ज करके एडवाईजरी जिसके अनुरूप कार्यवाही की जा रही थी पर तुरन्त रोक लगाने की मांग की जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने Stay दे दिया पहले तो यह राहत 18 अप्रैल 2018 तक मिली थी परन्तु 18–4–2018 को अपनी अगली सुनवाई के दौरान उच्च न्यायलय ने अपने अगले आदेश तक Stay दे दिया है जो व्यापारियों की बहुत बड़ी जीत है जिसका श्रेय व्यापारी एकता को जाता है। हम ISGIA जो कि गार्ड निर्माताओं की संस्था है उन्हें धन्यवाद देते है कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का सहारा लिया तथा हमारे व्यापारी भाईयों को बहुत बड़ी राहत दिलवाई।

अब अगला आदेश आने तक गार्ड लगाने पर कोई प्रतिबन्ध नही है तथा इस विषय पर कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अगस्त 2018 के लिए निर्धारित की गई है, सभी पक्षों को 2 पृष्ठों में अपना पक्ष रखने को कहा है उसके बाद जब कोर्ट में सभी पक्षों का जवाब आ जाएगा तो बहस की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। अतः यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें ओर भी समय लग सकता है। अपमा कार्यालय में दोनों आदेशों को प्रतिलिपि उपलब्ध है यदि कोई भी व्यापारी भाई उसे देखना चाहे तो उसका स्वागत है।

(विष्णु भार्गव)

महासचिव